संख्या-01/2019/35/62-2-2019-2/3(26)/2015

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 23 जनवरी, 2019

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान, बस्ती की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-982/ल0सिं0/बजट-क्षे0प0के0/2018-19, दिनांक 11.12.2018 व पत्र संख्या-1043/ल0सि0/बजट-क्षे0प0के0/2018-19 दिनांक 03.01.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन जनपद-बस्ती में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख (रू0-एक करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए कार्यदायी संस्था को अग्रिम रूप से दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान, बस्ती की स्थापना की योजना पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) निर्माण कार्य में जी0पी0एस0 मैपिंग व फोटो ग्राफी एवं टैगिंग की व्यवस्था लागू की जाय।

2. तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-11- क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

संख्या-01/2019/35(1)/62-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/प्रखण्ड/उपखण्ड।
5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद-बस्ती।
6- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10- एन0आई0सी0 की प्रति।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in